–इक्यावन–

उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–306 / 11–2005–500(136)–2003
लखनऊ, 19 जनवरी, 2005
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–23

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 78–क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या एस0आर0–3814 / 11–95, दिनांक 15 सितम्बर, 1995 का आंशिक उपान्तरण करके इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के पैरा संख्या 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 और पैरा 8.2 के खण्ड (क) से (च) में उपबंधित प्रयोजन के लिए और इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित प्रयोजनों और अन्य विवरणों के लिये निष्पादित उक्त अनुसूची के स्तम्भ–4 में यथा दर्शित लिखतों के सम्बन्ध में प्रभार्य इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ–3 में यथा दर्शित सीमा तक रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट प्रदान करते हैं। उपर्युक्त छूट, उद्यमकर्ता के पक्ष में किसी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिये निष्पादित प्रथम लिखत पर ही प्रदान किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, संबंधित जिला, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिये साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है। इस प्रकार अन्तरित स्थावर सम्पत्ति का उपयोग उक्त नीति में वर्णित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

राज्य की भारतीय स्टाम्प औद्योगिक एवं अनुसूची सेवा क्षेत्र निवेश संख्या नीति 2004 की प्रस्तर संख्या	प्रयोजन व अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति तथा अधिनियम, 1899 की एक–ख की अनुच्छेद
1	2	3	4
4.2.1 23(क)	(क)–पूर्वांचल के 29 जिलों तथा बुन्देलखण्ड के 7 जिलों में नयी लघु या लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु।	अधिकतम रु0 पॉच हजार के अध्यधीन रु0 दो प्रति सैकड़ा से रु0 दो प्रति हजार,	हस्तान्तरण अनुच्वेद
23(क)	(ख)–पूर्वांचल के 29 जिलों तथा बुन्देलखण्ड के 7 जिलों में नयी मध्यम या वृहत् औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु।	अधिकतम रु0 पॉच हजार के अध्यधीन रु0 दो प्रति सैकड़ा से रु0 दो प्रति हजार	हस्तान्तरण अनुच्छेद
23(क)	(ग)–राज्य के शेष जिलों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु।	लिखत पर संदेय निबंधन शुल्क का आधा	हस्तान्तरण अनुच्छेद

4.2.2 23(क)	अवस्थापना सुविधाओं के विकास अर्थात् औद्योगिक	अधिकतम रु0 पॉच हजार से	हस्तान्तरण अनुच्छेद
	आस्थानों की स्थापना, सड़कों, पुलों, ओवरब्रिज, थोक बाजारों, ट्रांसशिपमेन्ट केन्द्रों, एकीकृत ट्रान्सपोर्ट व व्यवसायिक केन्द्रों, कन्टेनर डिपो, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, जल निकासी, प्रदर्शनी केन्द्रों, वेयर हाउस हेतु भूमि का हस्तान्तरण।	अध्यधीन रु0 दो प्रति सैकड़ा से रु0 दो प्रति हजार	
4.2.3 23(क)	सूचना प्रौद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रोसेस	अधिकतम रु0 पांच हजार के	हस्तान्तरण अनुच्छेद
35	आउटसोर्सिंग इकाइयों, कॉल केन्द्रों, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु।	अध्यधीन रु0 दो प्रति सैकड़ा से रु0 दो प्रति हजार	तथा पट्टा अनुच्छेद
8.2(क) 23(क)	न्यूनतम 100 बिस्तरों की स्थापित क्षमता से युक्त	अधिकतम रु0 पांच हजार के	हस्तान्तरण अनुच्छेद
	और सुसंगत शासनादेश में यथाविहित चिकित्सा	अध्यधीन रु0 दो प्रति सैकड़ा	व पट्टा अनुच्छेद 35
और सुसंगत शासनादेश में यथाविहित चिकित्सा		अध्यधीन रु0 दो प्रति सैकड़ा	व पट्टा अनुच्छेद 35
	प्रयोजन के लिये उल्लिखित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल से युक्त और सुसंगत शासनादेशों में यथा उपबंधित ऐसी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त बहुविध सुविधा वाले चिकित्सालय के लिये स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण,	से रु0 दो प्रति हजार	
8.2(ख) 23(क)	सुसंगत शासनादेश में यथाउपबंधित चिकित्सा	अधिकतम रु0 पांच हजार से	हस्तान्तरण अनुच्छेद
	सुविधाओं से युक्त अतिविशिष्टायुक्त चिकित्सालय के लिये स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण,	अध्यधीन रु0 दो प्रति सैकड़ा से रु0 दो प्रति हजार,	व पट्टा अनुच्छेद 35
8.2(ग) (क)	न्यूनतम 50 बिस्तरों की स्थापित क्षमता से युक्त	अधिकतम रु0 पांच हजार के	हस्तान्तरण अनुच्छेद 23
	और सुसंगत शासनादेश में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं से युक्त विकास खण्ड मुख्यालय (जो जिला व तहसील मुख्यालय से भिन्न हो) पर स्थापित चिकित्सालय के लिये स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण।	अध्यधीन रु0 दो प्रति सैकड़ा से रु0 दो प्रति हजार	व पट्टा अनुच्छेद 35
8.2(घ) (क)	न्यूनतम 30 बिस्तरों की स्थापित क्षमता से युक्त	अधिकतम रु0 पांच हजार के	हस्तान्तरण अनुच्छेद 23
	और सुसंगत शासनादेश में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं से युक्त (विकास खण्ड मुख्यालय से भिन्न) किसी ग्राम में स्थापित चिकित्सालय के लिये स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण।	अध्यधीन रु0 दो प्रति सैकड़ा से रु0 दो प्रति हजार	व पट्टा अनुच्छेद 35
8.2(ङ) 23(क)	विकास खण्ड मुख्यालय (जो जिला मुख्यालय से	अधिकतम रु0 पांच हजार के	हस्तान्तरण अनुच्छेद
	भिन्न हो) पर स्थापित ऐसे तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान, जिनमें न्यूनतम 75 छात्र, प्रशिक्षु हों और जिसमें चलाया जा रहा पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, के लिये स्थावर सम्पत्ति का हस्तानतरण	अध्यधीन रु0 दो प्रति सैकड़ा से रु0 दो प्रति हजार	व पट्टा अनुच्छेद 35
8.2(च) 23(क)	ऐसे चिकित्सा व दन्त महाविद्यालय या अन्य	अधिकतम रु0 पांच हजार के	हस्तान्तरण अनुच्वेद
	शिक्षण संस्था, मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर, शापिंग माल्स व मनोरंजन केन्द्र जिनमें निर्माण व मशीनरी का लागत दस करोड़ रुपसे से कम न हो तथा जिनमें चिकित्सा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या 845/ 5–1–04(28)–2002, दिनांक 27 फरवरी, 2004 तथा संबंदित सरकारी विभागों द्वारा	अध्यधीन रु0 दो प्रति सैकड़ा से रु0 दो प्रति हजार	व पट्टा अनुच्छेद 35

समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों में यथाउपबंधित सुविधायें उपलब्ध हों तथा शर्तें पूरी करती हों, के लिये स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थः–

(क)–पूर्वान्चल के 29 जिलों में फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सन्त रविदास नगर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बलरामपुर, चन्दौली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, सन्त कबीर नगर, राजस्व जिले सम्मिलित होंगे।

(ख)–बुन्देलखण्ड के 7 जिलों में झाँसी, जालौन, ललितपुर, बाँदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट के राजस्व जिले सम्मिलित होंगे।

(ग)–राज्य के अवशेष जिलों का तात्पर्य उन जिलों से है जिनका उल्लेख उपरोक्त खण्ड (क) व (ख) में नहीं हे।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
बचित्तर सिंह,
सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N. 5-306/XI-2005-500(136)-2003, dated January 19, 2005 for general information:

No. K.N.5-306/X1-2005-500(136)-2003

Lucknow, Dated January 19, 2005

Notification

In exercise of the powers under section 78-A of the Registration Act. 1908 (Act no. 16 of 1908) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor in partial modificatoin of Government notification no. SR-3814/11-95, dated September 15, 1995 is pleased to remit with effect from the date of its publication of this notification in the Gazette, the registration fees to the extent as shown in column-3 of Schedule to this notification, Chargeable in respect of the instruments as shown in column-4 of the said Schedule executed for the purpose provided in paragraph number 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 and clauses (a) to (f) of paragraph 8.2 of the Industrial and Service Sector Investment Policy, 2004 of the State and for purposes and other details mentioned in Column-2 of the said Schedule. The above exemption shall be granted only on the first instrument executed for the transfer of an immovable property in favour of the entrepreneur. The District Magistrate or General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instruments as a witness for the purpose of

confirming the fact that the transfer is being executed for the purpose of the said policy. The immovable property so transferred shall not be used for a purpose other than the purpose described in the said policy.

SCHEDULE

Paragraph number of the Industrial and Service Sector Investment Policy, 2004 of the State	Purpose and other details	Extent of remission	Nature of instruments and Article number of Schedule I-B of Indian Stamp Act, 1899
1	2	3	4
4.2.1	(a) For setting up of new small scale or Tiny industrial units in 29 districts of Purvanchal and in 7 districts of Bundelkband.	From rupees 2 per one hundred to rupees 2 per thousand subject to a maximum of rupees 5000.	Conveyance Article 23(a)
	(b) For setting up of new Medium or large industrial units in 29 districts of Purvanchal and in 7 districts of Bundelkhand.	From rupees 2 per one hundred to rupees 2 per thousand subject to a maximum of rupees 5000.	Conveyance Article 23(a)
	(c) For selling up of industrial units in rest of the districts of the State.	Half of the registration fees payable on the instrument	Conveyance Article 23(a)
4.2.2	Transfer of land for development of infrastructure facilities viz., for establishing Industrial estates, roads, bridges, overbridge, wholesale market, Transhipment Centre, Integrated Transport and Commercial Centre, Container Depot. Electricity Supply, Water Supply, Water drainage, Exhibition Centre, Warehouse.	From rupees 2 per one hundred to rupees 2 per thousand subject to a maximum of rupees 5000.	Conveyance Article 23(a)
4.2.3	Establishment of Information Technology, Bio-technology, Business -Process Outsourcing units, Call Centres, Agro-Processing units.	From rupees 2 per one hundred to rupees 2 per thousand subject to a maximum of rupees 5000.	Conveyance Article 23(a) and Lease Article 35
8.2(a)	Transfer of immovable property for such Multifacility Hospital having an established capacity of minimum 100 beds and having an area which is more than the area prescribed by the Government order for medical purpose than prescribed in the relevant purpose than prescribed in the relevant Government order and having such	From rupees 2 per one hundred to rupees 2 per thousand subject to a maximum of rupees 5000.	Conveyance Article 23(a) and Lease Article 35

	medical facilities as provided in the relevant Government order.		
8.2(b) Article 23(a) Article 35	Transfer of immovable property for super-speciality Hospital having such medical facilities as provided in the relevant Government order.	From rupees 2 per one hundred to rupees 2 per thousand subject to a maximum of rupees 5000.	Conveyance and Lease
8.2(c) Article 23(a) Article 35	Transfer of immovable property for Hospital established in a Block Headquarter (which is different from a Tehsil and district Headquarter) having an established capacity of minimum 50 beds and having such medical facilities as provided in the relevant Government order.	From rupees 2 per one hundred to rupees 2 per thousand subject to a maximum of rupees 5000.	Conveyance and Lease
8.2(d) Article 23(a) Article 35	Transfer of immovable property for Hospital established in a village (which is different from a Block Headquarter) having an established capacity of minimum 30 beds and having such medical facilities as provided in the relevant Government order.	From rupees 2 per one hundred to rupees 2 per thousand subject to a maximum of rupees 5000.	Conveyance and Lease
8.2(e) Article 23(a) Article 35	Transfer of immovable property for a training institute for Technical or Information Technology established in a Block Headquarter (which is different from a District Headquarter) having a minimum of 75 students/ trainess and which is running on a syllabus approved by the State Government.	From rupees 2 per one hundred to rupees 2 per thousand subject to a maximum of rupees 5000.	Conveyance and Lease
8.2(f) Article 23(a) Article 35	Transfer of immovable property for Medical or Dental College or other Educational Institutions, Multiplex cinema hall, Shopping Malls, Entertainment Centres in which the cost of construction and machinery is not less than rupees ten crore and which have such facilities and which fulfil the conditions as have been provided in Government order no. 845/5-1-04-(28)-2002, dated February 27, 2004 issued by Medical Section-1 Government of Uttar Pradesh and other relevant Government orders issued by the related Government Departments from time to time.	From rupees 2 per one hundred to rupees 2 per thousand subject to a maximum of rupees 5000.	Conveyance and Lease

Explanation-For the purposes of this notification-

(a) 29 districts of Purvanehal shall comprise of the revenue districts of Faizabad, Sultanpur, Barabanki, Gonda, Bahraich, Basti, Siddarthnagar,

Gorakhpur, Maharajganj, Deoria, Kushinagar, Azamgarh, Mau, Ballia, Varanasi, Ghazipur, Jaunpur, Mirzapur, Sonbhadra, Sant Ravidasnagar, Allahabad, Fatehpur, Pratapgarh, Balrampur, Chandauli, Sravasti, Kaushambi, Ambedkarnagar, Sant Kabirnagar.

(b) 7 districts of BundeIkhand shall comprise of the revenue districts of Jhansi, Jalaun, Lalitpur, Banda, Mahoba, Hamirpur, Chitrakoot.

(c) rest of the district of the State means the districts of the State which are not mentioned in clauses (a) and (b) above.

By order
Sd/- illegible
BACHITTAR SINGH,
Sachiv.